RJPP, Vol. XXI, No.II, Apr.23-Sep.23, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 8.858

भारत मे लोकतंत्र तथा मतदान व्यवहार

डॉ० जसवेन्द्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
जी०वी०एन० डिग्री कॉलेज, बुढ़पुर रमाला (बागपत)
ईमेलः jasvendrasingh1973@gmail.com

सारांश

शोधपत्र 'भारत में लोकतन्त्र तथा मतदान व्यवहार' में लोकतन्त्र तथा मतदान व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बडा लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। भारत में लोकतन्त्र की जडे बहुत गहरी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही भारत के सभी नागरिकों के लिए सार्वभोमिक व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था की गयी। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1950 में ही प्राप्त हो गया था। लेकिन प्रसिद्ध लोकतान्त्रिक देशों में इसके लिए आन्दोलन करने पडे। शोध पत्र में मतदान व्यवहार का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। भारत में मतदाता किन–किन परिस्थितियों से प्रभावित होता है इसका अध्ययन किया गया है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र, शिक्षा, आय आदि रहे है। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारक होते है जो मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करते है। भारतीय लोकतन्त्र के सामने अनेक चुनौतिया है परन्तु विभिन्न चुनावों के फलस्वरूप लोकतन्त्र की व्यवस्था को कमजोर नहीं कहा जा सकता है। भारत के मतदाताओं में लोकतन्त्र के प्रति गहरी आस्था इस बात का परिणाम है कि चुनाव में अनेक विसंगतियों के बावजूद लोकतन्त्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जाये। अतः लोकतन्त्र को मजबूत सोच समझकर मतदान करने से ही बनाया जा सकता है।

मुख्य बिन्दु

लोकतन्त्र, मतदान व्यवहार, शासन, भाषा, धर्म, जाति, शिक्षा, विचारधारा।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 14.09.2023
Approved: 20.09.2023

डॉ० जसवेन्द्र सिंह

भारत मे लोकतंत्र तथा मतदान व्यवहार

RJPP Apr.23-Sep.23, Vol. XXI, No. II,

PP. 195-200
Article No. 27

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

लोकतंत्र अथवा जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी इच्छा से निवार्चन मे आए हुए किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत देकर प्रतिनिधि चुन सकते है। लोकतंत्र दो शब्दों को मिलाकर बना लोक + तंत्र। जिसका अर्थ है जनता का शासन, जिस उम्मीदवार को जनता सबसे अधिक पंसद करती है उसे अपना मत देकर 'विधायिका' का सदस्य चुन कर सम्बन्धित सदन मे भेज सकती है।

हाँलाकि़ लोकतंत्र शब्द का राजनीतिक सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है जिसका आमतौर पर अर्थ सरकार है, परन्तु लोकतंत्र व्यवहार में दूसरो समूहों तथा संगठनों के लिए भी उतना ही सुसंगत शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों से मिलकर बना है जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है "जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन है।" दूसरे अर्थ में लोकतंत्र एक ऐसी शासन की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को 'समान अधि ाकार' होता है अर्थात लोकतंत्र वह पैमाना है जनता के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार का होना । सबसे अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ ही आर्थिक न्याय की प्रणाली भी हो। भारत मे लोकतंत्र जनता को राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक आजादी प्रदान करता हैं।

भारत मे लोकतन्त्र की जड़े बहुत गहरी है। भारत ने जब स्वतन्त्रता प्राप्त की तब सबसे बड़ी चुनौती थी भारत में लोकतन्त्र तो हो लेकिन उसका स्वरूप क्या हो, तब संविधान निर्माताओं जिनमें प्रमुख डा. भीमराव अम्बेडकर, डा.राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहर लाल नेहरू सरीखे नेताओंने लोकतंत्र में सभी को मत देने का सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार देने का सर्वसम्मती से निर्णय लिया। इस प्रकार संविधान का 26 नवंबर 1949 से अधिकांश भाग लागू हो गया जिसे 'संविधान दिवस' के रूप मे मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1952 मे देश में प्रथम आम चुनाव हुए जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हर्षोल्लास के साथ भाग लिया, पहली बार भारत में पुरुषो के साथ ही महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ इस प्रकार भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया जहाँ प्रथम बार में ही महिलाओं को पुरुषो के साथ व्यस्क मताधिकार प्राप्त हुआ।

विश्व के अनेक प्रसिद्ध देश है जिन्हें लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है वहाँ पर भी महिलायों को बाद मे मत देने का अधिकार मिला, जैसे स्विट्ज़रलैण्ड को 1941, पुर्तगाल में 1996 तक भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नही मिला। कुवैत मे 2005, यू.ए.इ.मे 2006 मे वोट करनेका अधिकार मिला।

लेकिन भारत में महिलाओं को यह अधिकार 1950 मे ही प्राप्त हो गया था उस समय संविधान निर्माताओं की कुछ ने आलोचना भी की, परन्तु उसकी परवाह न करते हुए उन्होने यह कहते हुए कि आज नही तो कल इसके लिए देश में आन्दोलन होंगे, इसीलिए इसे अभी से लागू कर दिया गया बिना किसी भेदभाव के, आरम्भ में लगा कि वास्तव में कुछ लोग वोट डालने की परख नही रखते परन्तु धीरे–धीरे लोकतन्त्र मजबूती की ओर अग्रसर होता रहा। बाद के वर्षो में एक मजबूत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से भारत में लोकसभा, राज्यसभा सहित सभी प्रदेशों की विधानसभाओं

के साथ स्थानीय स्तर पर पंचायत राज के चुनाव तथा राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति के चुनाव भी निष्पक्ष रूप चुनाव आयोग द्वारा समय–समय पर कराये जाते है। लेकिन हम यहाँ पर लोक सभा तथा विधानसभा के चुनाव का ही विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आम मतदाता विभिन्न लोकप्रिय सदनों के लिए अपने–अपने क्षेत्रों से विधायिकाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते है।

मतदान व्यवहारः

किसी देश के चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मतदान व्यवहार ही निभाता है। चुनाव से पूर्व, चुनाव के दिन मतदाताओं का मतदान के प्रति व्यवहार किसी भी देश की सामाजिक व राजनीतिक दिशा व दशा निर्धारित करता है। समाजशास्त्री गार्डन मार्शल के अनुसार "मतदान का अध्ययन व्यवहार निरापवाद रूप से निर्धारकों पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोग सार्वजनिक चुनावो में मतदान क्यों करते हैं जैसा कि वे करते हैं और वे अपने द्वारा किये गये निर्णयों पर कैसे पहुँचते है"।

मतदान व्यवहार विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जो कि स्थान, समय व परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। अलग–2 विद्वानो के द्वारा मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न मत व्यक्त किये है। मतदान व्यवहार का अर्थ मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को जानना है कि किस प्रकार अथवा किन–2 कारको से प्रभावित होकर मतदाता अपना वोट देता है अर्थात मतदाता क्या सोचकर मतदान करता है। मतदताओं का व्यवहार ही सार्वजनिक चुनाव के परिणाम को प्रभावित करता है।

भारत में 'सार्वभौमिकव्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है जिसका अर्थ है भारत की जनता को मत देने के लिए किसी विशिष्ठ योग्यता की जरूरत नही पड़ेगी, परतु एक निश्चित आयु को पूरा करने के बाद उन्हें मतदानकरने के लिए योग्य समझा जायेगा। भारत मे पहले मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष थी परन्तु 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अब न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

भारत मे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक

भारत के चुनाव मे मतदान को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक है जिनका विश्लेषण इस प्रकार से है–

जाति

भारतीय समाज मे जाति की संरचना व्यवस्था प्राचीन काल से है और इसका प्रभाव आज भी बहुत अधिक है इसीलिए चुनाव मे मत देते समय मतदाता या तो उस राजनीतिक दल को मत देता है जिसमे उसी की जाति का प्रधान हो अथवा उस उम्मीदवार को देता है जो उसी की जाति का हो, इसी बात का ध्यान, राजनीतिक दल भी टिकट देते समय रखते है, रजनी कोठारी के अनुसार "भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत मे जातियॉ राजनीतिकृत है।" हालांकि स्थानीय दल और क्षेत्रीय दल गठबंधन करके अंतर–जाति गठबंधन कर मतदान व्यवहार को प्रभावित कर लेती है अर्थात ये सभी की जाति की अवधारणा के मुख्य कारक हैं।

धर्म

जाति की भाँति ही धर्म भी महत्वपूर्ण दूसरा कारक है जो जनता के व्यवहार को चुनाव में प्रभावित करता है। अनेक राजनीतिक दल धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं और जनता की धार्मिक भावनाओ का शोषण करते है। विभिन्न राजनीतिक दल जैसे हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल, विश्व हिन्दू परिशद आदि भारत मे दल है जो मतदाताओं से धार्मिक आधार पर मत प्राप्त करते है।

ऐसे दलो के द्वारा धर्म के राजनीतिकरण को ओर बढ़ा दिया है।भारत एक पंथनिरपेक्ष देश होने के बावजूद कोई भी पार्टी के धर्म के प्रभावकी अनदेखी नहीं करती है इस प्रकार मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला धर्म दूसरा महत्वपूर्ण कारक है।

भाषा

भाषाई आधार पर मतदान व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित किया जाता हैं। मतदान के समय राजनीतिक दलो के द्वारा मतदाताओं को भाषाई आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से भावनाओं को भडकाते है और उनके निर्णय को प्रभावित का करने का प्रयास किया जाता है। 1956 और बाद में राज्यों के पुर्नगठन में भारत की राजनीति में भाषा स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप मे उभरी है दक्षिण के राज्यों मे आन्ध्र प्रदेश मे तेलगू देश मे पार्टी, तथा तमिलनाडु मे द्रविड मुन्नेत कड़गम (DMK) व AIDMKऔर उत्तर मे अकाली दल के उदय का श्रेय भाषा के आधार पर दिया जाता है।

क्षेत्र

लंबे समय तक कांग्रेस का केन्द्र की सत्ता पर काबिज रहने से देश के कुछ विशेष क्षेत्र विकास की दौड में पीछे छूट गये,इसी का लाभ उठाकरमनोवैज्ञानिक आधार पर कुछ राज्यो मे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ,जो चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपील कर क्षेत्रीय भावनाओं के आधार मत देने की माँग करते है। कभी–कभी उप–राष्ट्रवाद की संकीर्ण भावनाओं मे चुनावी बहिष्कार की अपील भी करते है ।

करिश्माई नेतृत्व

दल के करिश्माई नेतृत्व के कारण कई बार चुनावी व्यवहार मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इस प्रकार के भारत मे कई उदाहरण है जब करिश्माई नेतृत्व के कारण मतदाताओ ने अपना मत दिया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गाधी, राजीव गाँधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई छवि ने जनता को अपने दल के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित किया।

करिश्माई नेतृत्व अथवा व्यक्तित्व केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नही बल्कि राज्य स्तर भी चुनावो मे लोकप्रिय समर्थन का एक महत्वपूर्ण कारक है।

विचारधारा

किसी भी राजनीतिक दल की घोषित विचार–धारा का जनता के चुनावी फैसले पर प्रभाव पड़ता है। देश मे कुछ दल लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पूंजीवाद, विकेन्द्रीकरण, धर्म आधारित आदि कुछ

विचार धाराओं को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में मतदाता अपनी पसन्द की विचारधारा को मानने वाले दलों के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं।

मौसम

चुनाव मे मौसम भी एक महत्वपूर्ण कारक है यदि अधिक बरसात, गर्मी, सर्दी पड़ती है तब चुनाव मे मत प्रतिशत कम रहता है। यदि मौसम अनुकूल हो तो मतदाता अधिक उत्साह के साथ घरों से निकलते है। इस प्रकार हम कह सकते है कि मौसम भी अन्य कारक है।

उपरोक्त कारको के अलावा भी कई अन्य ऐसे कारक है जो निश्चित रूप से भारतीय मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते जैसे

1. ग्रामीण या शहरी
2. आय
3. लिंग
4. शिक्षा
5. आय
6. चुनाव से पहले की राजनीतिक घटनाएँ आदि भी महत्वपूर्ण कारक है।

ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में भी मतदान व्यवहार भिन्न–भिन्न होता है इसका कारण शिक्षा और आर्थिक स्थिति के रूप में समझ सकते है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं भी शहरी क्षेत्र से कुछ भिन्न होती है। शहरी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र से अधिक होता है, शिक्षा के कारण शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समझ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता अपनी रोजी रोटी मे ही इतने उलझे रहते है कि उन्हें राजनीतिक समझ विकसित नहीं हो पाती। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता राजनीतिक पार्टियों के नारों को ही सत्य समझकर किसी भी पार्टी के प्रति मत देने को तैयार हो जाते है। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं की आय व शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की आय में भी अन्तर पाया जाता है। आय के आधार पर भी हमारा समाज वर्गीकृत हो जाता है। गरीब मतदाता उस राजनीतिक दलो को अधिक पसंद करते है जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के अधिक दावे अपने घोषणा पत्र में कर देते है। ऐसे मतदाता यह नहीं समझ पाते कि इन वादे के दूरगामी परिणाम क्या होगे या वह दल इन किये गये वादो को कैसे पूर्ण करेंगे। महिला व पुरूष मतदाताओं के व्यवहार में भी भिन्नता दिखाई देने लगी है। कुछ महिला मतदाता वर्तमान में अपनी समझ से मतदान करने लगी है, पहले वह अपने पति या घर के बडे के अनुसार मतदान करती थी लेकिन अबवह भी अनेक प्रकार के कारकों से प्रभावित होने लगी है। महिला मतदाता अपने पति या बेटे के कहे अनुसार मतदान न कर अपनी समझ से भी मतदान करने लगी है। महिलाओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक शिक्षा व आय के साधन हो गये हैं।

मतदाता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में चुनाव से पहले की राजनीतिक व अन्य सामाजिक, धार्मिक घटनाऐं भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। चुनाव से पहले अनेक राजनीतिक दल मतदाताओं को अनेक प्रकार के सपने दिखाते है जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम हो और

मतदाता उन सपनों में खोकर तथा उन सपनों से इतना अधिक प्रभावित होता है कि विशेष दल के प्रति मतदान कर देता है। वर्तमान में अनेक धार्मिक रैलिया या शोभा यात्राओं के नाम पर राजनीतिक दल मतदाताओं को बरगलाने का कार्य करते है कभी–कभी तो इन धार्मिक रैलियों या शोभा यात्राओं से उन्माद भी पैदा करा देते है जिससे मतदाता दो गुटों में विभाजित हो जाते है और एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगते है कि आपस में मरने–मारने को भी तैयार हो जाते है। ऐसी नफरत समाज के समन्वय को तोड देती है और इसी का कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए फायदा उठा लेते है और चुनाव जीतकर सरकार तक बना लेते है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि समाज के लोगों को इससे कितना नुकसान उठाना पडता है। चुनाव पूर्ण ऐसी अनेक घटनाओं को देखा जा सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं बहुत हानिकारक होती है। अतः मतदाताओं को किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को मत देने से पहले उसके भूतकाल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तभी किसी को अपना मत देना चाहिए। जो राजनीतिक दल देश, राष्ट्र या समाज को विभाजित करने का कुत्सित प्रयास करते है उनको कभी भी मतदान नहीं करना चाहिए। अतः मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसे सोच समझकर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ही करना चाहिए।

निष्कर्ष

लोकतंत्र और मतदान व्यवहार मे देखा जायें तो भारत कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ा है तो कुछ क्षेत्रों मे पीछे रह गया, आज भारत में चुनाव के लगभग सात दशक बीत चुके है परन्तु जाति, धर्म, क्षेत्रीयता भारत के प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र मे विद्यमान है। जाति और राजनीति के संबंध मे सकारात्मक और नकारात्मक दोनो ही पहलू है। यदि सकारात्मक पहलू को ले तो विभिन्न वर्ग जाति और धर्म के लोगो द्वारा राजनीति में भाग लेने के परिणामस्वरूप सामूहिक अथवा राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, नकारात्मक पहलू कोले तो विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के कारण भारतीय लोकतंत्र प्रणाली को आघात पहुँचता रहा है। भाषाई समस्या ने कई क्षेत्रों में गहरी खाई पैदा की है।

इन तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि लोगो को समानता, स्वतन्त्रता का अधिकार दिया जायेगा, साथ ही भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। परन्तु वर्तमान में यह सब केवल सिद्धान्त मे ही रह गयी है, व्यवहार मे नही है।

हालांकि भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियाँ अथवा विसंगतियां है परन्तु विभिन्न चुनावों के फलस्वरूप लोकतंत्र की व्यवस्था को कमजोर नही कहा जा सकता है। भारत के मतदाताओं मे लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था इस बात का परिणाम है कि चुनाव में अनेक विसंगतियों के बावजूद लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जाये। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नीतियां और सिद्धान्त के बल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को निष्पक्ष चुनाव के बल पर और मजबूत बनाया जाये। अतः मतदाताओं को मतदान करते समय बहुत ही सावधानियाँ रखनी होगी। किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आये, राजनीतिक दलों की विचारधारा को जॉच परख कर ही मत करे। उन्हीं राजनीतिक दलों को सत्ता दे जो देश और समाज के विकास करने में सक्षम हो। ऐसे राजनीतिक

दलों से बचने का प्रयास करे जो देश, राष्ट्र और समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हो। मतदान एक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। आपका एक मत समाज व देश को विकसित कर सकता है। अतः सभी मतदाता मतदान करे, दूसरों को मतदान के लिए जागरूक करे और सबसे महत्वपूर्ण सोच समझकर एक अच्छे समाज भक्त और देशभक्त को ही मतदान करे।

सन्दर्भ

1. विनर, माइरन. (1968). 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया'. नेशनल पब्लिशिंग हाउसः नई दिल्ली।
2. फडिया, बी0एल0. (2006). 'भारतीय शासन और राजनीति'. साहित्यभवनः आगरा।
3. चौधरी, बी0एन0., कुमार, युवराज. (2013). 'भारत मे संवैधानिक लोकतंत्र और शासन'. प्रथम संस्करण. प्रकाशन दिल्ली विश्वविद्यालय।
4. कश्यप, सुभाष. (1996). 'हमारा संविधान : भारत का संविधान और सवैधानिक विधि'. नेशनल बुक ट्रस्ट।
5. नारंग, ए0एस0. (2013). भारतीय शासन एंव राजनीति. नई दिल्ली।
6. कोठारी, रजनी. पॉलिटिक्स इन इंडिया. ओरिएंट लॉंग मैन कोलकाता।
7. जैन, पुखराज., फडिया, बी0एल0. 'राजनीति विज्ञान'. साहित्य भवन पब्लिकेशनः आगरा।
8. श्रीनिवास, एम0एन0. (1996). कास्टः इट्स ट्वेनटिएथ सेंचुरी अवतार. पेंग्विन बुक्सः दिल्ली।
9. दुबे, अभय कुमार. (2001). 'भारत मे राजनीति कल और आज'. वाणी प्रकाशनः नई दिल्ली।
10. मिश्रा, के० सुब्रत. (1991). डेमोक्रेसी एण्ड सोशलचेंज इन इण्डिया. सेज पब्लिकेशनः नई दिल्ली।
11. https://govtvacancy.net.
12. https://byjus.com/ias-hindi/voting-behaviour.
13. विभिन्न समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान आदि के अलग–2 दिनांक के समाचार पत्रों का सहयोगलिया।
14. इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनो का भी सहयोग लिया।